कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 369 / 14 → दिनांक : फिरोजाबाद : मई 0 🤇

2023

सेवा में,

and a

व्यापार विकास प्रबन्धक,		
रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि०,		
गुरूग्राम, हरियाणा		

विषय—

जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला—एटा मार्ग (एस०एच०—31) किमी0 12 चैनेज—(11.888) के खसरा सं0— 396, 397 ग्राम नगला मुरली, तहसील टूण्डला पर रिलायंस बीपी मोबिलिटी लि0 गुरूग्राम न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.2233847 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ–

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र सं०— 8 बी / यू०पी० / ०६ / २० / २०२३ / एफ०सी० / ७५, दिनांक ०२.०५.२०२३

आपको अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्रo लखनऊ के पत्र सं०–8 बी/यू०पीo/06/20/2023/एफ0सीo/75, दिनांक 02.05.2023 द्वारा निम्न तालिका में वर्णित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः आप निम्न शर्तों की अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों का मेजी जा सके।

Sr.	Conditions	ि दिन में
No.		Complience
1	Legal status of the forest land shall reinain unchanged	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Porest Department for plantation of 448 trees over an area of 0.4500 ha degraded forest land in compartment/survey No.nil, Sofipur Forest Block, Range & District Firozabad at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त में दर्शायी गई मदों हेतु तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक अनुरक्षण की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रू0 580800 / – (रू0 पांच लाख अस्सी हजार आठ सौ मात्र) ऑन लाइन चालान जेनरेट कर धनराशि जमा करते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4	The Suite Government shall clarge the Net Present Value (NPV) for the 0.2233847 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PLIT) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall fumish an undertaking to this effect.	शर्त में दर्शायी गई मदों हेतु NPV की धनराशि रू0 213954 / -(रू0 दो लाख तेरह हजार नौ सौ चौवन मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑन लाइन चालान जेनरेट कर धनराशि जमा करते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6	The commplete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector	शत के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निर्मत FRA 2006 प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
		and the second s

7	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा No violation सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना
8	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Fuel Station.	होगा। शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन
9	User ageny shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें। शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
10	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन
11	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to be provided.	आख्या प्रस्तुत करेगी। शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
12	The boundary of the diverted forest land shall be suitabily demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कप्ट करें।
13	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or project life. whichever is less.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कप्ट करें।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कप्ट करें।
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शाख्या प्रस्तुत करने का कप्ट करे। शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजॅसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कप्ट करें।
16	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval [of Hon'ble Supreme Court.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
17	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शाल्मा प्रसुत पर्रम के के के अनुपालन शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
19	19. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (lutmas://parival.nic.in.)	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
20	20. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करूने का कष्ट करें।

(विकास नायक)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वासिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 3691/14-1 दिनांकित। प्रतिलिपि- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(विकास नायक)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वालिकी-प्रभाग, फिरोजाबाद।

ocl